



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224433
CG-DL-E-15012021-224433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942

No. 157]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

का.आ. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 12.805 से कि.मी.31.155 (गोहा-खेल्लानी खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 12.805 से कि.मी.31.155 (गोहा-खेल्लानी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: डोडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: डोडा					
गांव का नाम: हम्बल					
1	1197/1178/688	निजी	एग्रीकल्चर	0.0292150(हेक्टेयर)	0.0292150
2	487	निजी	एग्रीकल्चर	0.1457390(हेक्टेयर)	0.1457390
3	489	निजी	एग्रीकल्चर	0.0641160(हेक्टेयर)	0.0641160
4	492	निजी	एग्रीकल्चर	0.1039800(हेक्टेयर)	0.1039800
5	601	निजी	एग्रीकल्चर	0.0107070(हेक्टेयर)	0.0107070
6	643	निजी	एग्रीकल्चर	0.0652410(हेक्टेयर)	0.0652410
7	650	निजी	एग्रीकल्चर	0.0411140(हेक्टेयर)	0.0411140
8	651	निजी	एग्रीकल्चर	0.0100370(हेक्टेयर)	0.0100370
9	671	निजी	एग्रीकल्चर	0.0100370(हेक्टेयर)	0.0100370
10	679	निजी	एग्रीकल्चर	0.0313250(हेक्टेयर)	0.0313250
11	680	निजी	एग्रीकल्चर	0.0041960(हेक्टेयर)	0.0041960
12	682	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046470(हेक्टेयर)	0.0046470
गांव का नाम: हुड					
1	11	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.1472060(हेक्टेयर)	0.1472060
2	17	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0002470(हेक्टेयर)	0.0002470
3	26	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0029720(हेक्टेयर)	0.0029720
4	27	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0885170(हेक्टेयर)	0.0885170
5	49	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0054410(हेक्टेयर)	0.0054410

6	65	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0140460(हेक्टेयर)	0.0140460
7	793/76	सरकारी	डीग्रेडेड पास्टर्स (ग्रेजिंग)	0.0030130(हेक्टेयर)	0.0030130
8	794/76	सरकारी	नेशनल हाईवे रोड	0.0202470(हेक्टेयर)	0.0202470
9	804/808/66	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0164270(हेक्टेयर)	0.0164270
10	854/803/24	सरकारी	डीग्रेडेड पास्टर्स (ग्राजिंग)	0.0144200(हेक्टेयर)	0.0144200
11	885/809/66	सरकारी	नहव रोड	0.1078990(हेक्टेयर)	0.1078990
12	927/50	निजी	एग्रीकल्चर (ग्रेजिंग)	0.0802030(हेक्टेयर)	0.0802030
13	952/52	निजी	एग्रीकल्चर लैंड	0.0175650(हेक्टेयर)	0.0175650
14	954/52	निजी	एग्रीकल्चर लैंड	0.0326210(हेक्टेयर)	0.0326210
गांव का नाम: मल्होरी					
1	1068	सरकारी	डीग्रेडेड पास्टर्स (ग्रेजिंग)	0.3788800(हेक्टेयर)	0.3788800
2	1091/814	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.8777860(हेक्टेयर)	0.8777900
3	1196/704	निजी	एग्रीकल्चर लैंड	0.1405200(हेक्टेयर)	0.1405200
4	1197/704	निजी	एग्रीकल्चर लैंड	0.5947010(हेक्टेयर)	0.5947010
5	1197/704	सरकारी	गज्जिंग लैंड	0.3713740(हेक्टेयर)	0.3713740
6	1199/712	निजी	एग्रीकल्चर	0.1046230(हेक्टेयर)	0.1046230
7	795	निजी	एग्रीकल्चर	0.0226120(हेक्टेयर)	0.0226120
8	796	निजी	एग्रीकल्चर	0.0070080(हेक्टेयर)	0.0070080
गांव का नाम: मोथी					
1	1057/280	निजी	एग्रीकल्चर	0.0617780(हेक्टेयर)	0.0617780
2	197	निजी	एग्रीकल्चर	0.0401490(हेक्टेयर)	0.0401490
3	276	निजी	एग्रीकल्चर	0.0062080(हेक्टेयर)	0.0062080
4	278	निजी	एग्रीकल्चर	0.0005760(हेक्टेयर)	0.0005760
5	285	निजी	एग्रीकल्चर	0.0140730(हेक्टेयर)	0.0140730
6	288	निजी	एग्रीकल्चर	0.0821710(हेक्टेयर)	0.0821710
7	32	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0529720(हेक्टेयर)	0.0529720
8	36	निजी	एग्रीकल्चर	0.0802970(हेक्टेयर)	0.0802970
9	37	निजी	एग्रीकल्चर	0.0066340(हेक्टेयर)	0.0066340

10	37	निजी	एग्रीकल्चर	0.0988060(हेक्टेयर)	0.0988060
11	37/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0696810(हेक्टेयर)	0.0696810
12	38	निजी	एग्रीकल्चर	0.0314070(हेक्टेयर)	0.0314070
कुल				4.1134	4.1134

[फा. सं. NHIDCL/PMU-JMU/DPR/Goha-Khellani/LA/2020-21/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2021

S.O. 177(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-244 in the stretch of land from design Km. 12.850 to Km. 31.155 (Goha-Khellani Section) in district of Doda in the Union territory of Jammu and Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No-244 in the stretch of land from design Km. 12.850 to Km. 31.155 (Goha-Khellani Section) in district of Doda in the Union territory of Jammu and Kashmir

State: JAMMU & KASHMIR			District: DODA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Doda					
Village: Hambal					
1	1197/1178/688	Private	Agriculture	0.0292150(Hectare)	0.0292150
2	487	Private	Agriculture	0.1457390(Hectare)	0.1457390
3	489	Private	Agriculture	0.0641160(Hectare)	0.0641160
4	492	Private	Agriculture	0.1039800(Hectare)	0.1039800
5	601	Private	Agriculture	0.0107070(Hectare)	0.0107070
6	643	Private	Agriculture	0.0652410(Hectare)	0.0652410

7	650	Private	Agriculture	0.0411140(Hectare)	0.0411140
8	651	Private	Agriculture	0.0100370(Hectare)	0.0100370
9	671	Private	Agriculture	0.0100370(Hectare)	0.0100370
10	679	Private	Agriculture	0.0313250(Hectare)	0.0313250
11	680	Private	Agriculture	0.0041960(Hectare)	0.0041960
12	682	Private	Agriculture	0.0046470(Hectare)	0.0046470
Village: Hud					
1	11	Private	Agriculture (Grazing)	0.1472060(Hectare)	0.1472060
2	17	Private	Agriculture (Grazing)	0.0002470(Hectare)	0.0002470
3	26	Private	Agriculture (Grazing)	0.0029720(Hectare)	0.0029720
4	27	Private	Agriculture (Grazing)	0.0885170(Hectare)	0.0885170
5	49	Private	Agriculture (Grazing)	0.0054410(Hectare)	0.0054410
6	65	Private	Agriculture (Grazing)	0.0140460(Hectare)	0.0140460
7	793/76	Government	Degraded pastures (grazing)	0.0030130(Hectare)	0.0030130
8	794/76	Government	National Highway Road	0.0202470(Hectare)	0.0202470
9	804/808/66	Private	Agriculture (Grazing)	0.0164270(Hectare)	0.0164270
10	854/803/24	Government	Degraded pastures(grazing)	0.0144200(Hectare)	0.0144200
11	885/809/66	Government	NHW Road	0.1078990(Hectare)	0.1078990
12	927/50	Private	Agriculture (Grazing)	0.0802030(Hectare)	0.0802030
13	952/52	Private	Agriculture Land	0.0175650(Hectare)	0.0175650
14	954/52	Private	Agriculture Land	0.0326210(Hectare)	0.0326210
Village: Malhori					
1	1068	Government	Degraded pastures (Grazing)	0.3788800(Hectare)	0.3788800
2	1091/814	Government	Agriculture	0.8777860(Hectare)	0.8777900
3	1196/704	Private	Agriculture Land	0.1405200(Hectare)	0.1405200
4	1197/704	Private	Agriculture Land	0.5947010(Hectare)	0.5947010
5	1197/704	Government	Gazzing Land	0.3713740(Hectare)	0.3713740
6	1199/712	Private	Agriculture	0.1046230(Hectare)	0.1046230
7	795	Private	Agriculture	0.0226120(Hectare)	0.0226120
8	796	Private	Agriculture	0.0070080(Hectare)	0.0070080
Village: Mothi					
1	1057/280	Private	Agriculture	0.0617780(Hectare)	0.0617780
2	197	Private	Agriculture	0.0401490(Hectare)	0.0401490
3	276	Private	Agriculture	0.0062080(Hectare)	0.0062080
4	278	Private	Agriculture	0.0005760(Hectare)	0.0005760
5	285	Private	Agriculture	0.0140730(Hectare)	0.0140730
6	288	Private	Agriculture	0.0821710(Hectare)	0.0821710
7	32	Government	Agriculture	0.0529720(Hectare)	0.0529720
8	36	Private	Agriculture	0.0802970(Hectare)	0.0802970
9	37	Private	Agriculture	0.0066340(Hectare)	0.0066340
10	37	Private	Agriculture	0.0988060(Hectare)	0.0988060

11	37/1	Private	Agriculture	0.0696810(Hectare)	0.0696810
12	38	Private	Agriculture	0.0314070(Hectare)	0.0314070
Total				4.1134	4.1134

[F. No. NHIDCL/PMU-JMU/DPR/Goha-Khellani/LA/2020-21/3A2]

RAJESH GUPTA, Director